

कार्यालय सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)


पत्रांक - 274 / ऊमशाखगंन/सत्यापन

दिनांक 12/04/24

नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार प्रमाण पत्र

मुख्य विकास अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्रांक- 7375 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि शासनदेश स0 419/79-6-2013-18(20) 91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में **Shiv Nadar School, Plot N0-SS-1, Sector- 168, Noida Gautam buddh Nagar** का निरीक्षण स्कूल प्रबन्धक के समक्ष किया गया था। निर्मित भवन में प्रयुक्त मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर बनाकर किया गया है। भवन का अवलोकन करने व उपलब्ध मानचित्र के अनुसार भवन एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरूप बना है। भवन की इमारत चार Block में बनी है। प्रथम Block में भूमिगत तल, भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल। द्वितीय Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल। तृतीय Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल एवं चतुर्थ Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल निर्मित है।

भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि स्कूल की इमारत में कोई भी परिवर्तन बिना किसी सक्षम स्तर की अनुमति के ना किया जाये एवं स्कूल के भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/स्वामी की होगी। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से निर्धारित समय अवधि 03 वर्ष में Renewal कराना अनिवार्य होगा।


सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)

पत्रांक : / ऊमशाखगंन/तदिनॉक

प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्रांक- 7375 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में सुचनार्थ प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)

कार्यालय सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)


पत्रांक - 274 /ऊमशाखगंन/सत्यापन

दिनांक 12/04/24

नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार प्रमाण पत्र

मुख्य विकास अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्रांक- 7375 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि शासनदेश स0 419/79-6-2013-18(20) 91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में **Shiv Nadar School, Plot N0-SS-1, Sector- 168, Noida Gautam buddh Nagar** का निरीक्षण स्कूल प्रबन्धक के समक्ष किया गया था। निर्मित भवन में प्रयुक्त मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर बनाकर किया गया है। भवन का अवलोकन करने व उपलब्ध मानचित्र के अनुसार भवन एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरूप बना है। भवन की इमारत चार Block में बनी है। प्रथम Block में भूमिगत तल, भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल। द्वितीय Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल। तृतीय Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल एवं चतुर्थ Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल निर्मित है।

भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि स्कूल की इमारत में कोई भी परिवर्तन बिना किसी सक्षम स्तर की अनुमति के ना किया जाये एवं स्कूल के भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/स्वामी की होगी। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से निर्धारित समय अवधि 03 वर्ष में Renewal कराना अनिवार्य होगा।


सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)

पत्रांक : /ऊमशाखगंन/तदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्रांक- 7375 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में सुचनार्थ प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)

कार्यालय सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)


पत्रांक - 274 / ऊमशाखगंन/सत्यापन

दिनांक 12/04/24

नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार प्रमाण पत्र

मुख्य विकास अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्रांक- 7375 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि शासनदेश स0 419/79-6-2013-18(20) 91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में **Shiv Nadar School, Plot N0-SS-1, Sector- 168, Noida Gautam buddh Nagar** का निरीक्षण स्कूल प्रबन्धक के समक्ष किया गया था। निर्मित भवन में प्रयुक्त मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर बनाकर किया गया है। भवन का अवलोकन करने व उपलब्ध मानचित्र के अनुसार भवन एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरूप बना है। भवन की इमारत चार Block में बनी है। प्रथम Block में भूमिगत तल, भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल। द्वितीय Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल। तृतीय Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल एवं चतुर्थ Block में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल निर्मित है।

भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि स्कूल की इमारत में कोई भी परिवर्तन बिना किसी सक्षम स्तर की अनुमति के ना किया जाये एवं स्कूल के भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/स्वामी की होगी। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से निर्धारित समय अवधि 03 वर्ष में Renewal कराना अनिवार्य होगा।


सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)

पत्रांक : _____ / ऊमशाखगंन/तदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्रांक- 7375 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में सुचनार्थ प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगा नहर
खुर्जा (बुलन्दशहर)